उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/NCR/Allowances
दिनांक : 12/09/2017

RBE No. 101/2017
NCR PS No.5143/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub: Implementation of the Government's decision on the recommendations of the 7th Pay Commission on CCS(Extaordinary pension)Rules 1939-enhancement of Constant Attendance Allowance.

The copy of Railway Board's letter No. F(E)III/2009/PN1/6 dated 22.08.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

12.9.17

(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

PC-VII No.: 44/2017
R.B.E. No.: 101 /2017

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBL-2017-1684
25/31-8-17

No. F(E)III/2009/PN1/6 **New Delhi, Dated : 22.08.2017**

The GMs/FA&CAOs,
All Zonal Railways/Production Units,
(As per mailing list)
North Central Railway / Allahabad

Subject: **Implementation of Government's decision on the recommendations of the 7th Pay Commission on CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 – Enhancement of Constant Attendant Allowance.**

****

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M. No. 1/4/2017-P&PW(F) dated 2nd August, 2017 on the above cited subject is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on Railways also. CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 mentioned in DOP&PW's O.M., corresponds to Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993.

G. Priya Sudarsani
(G. Priya Sudarsani)
Joint Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

D.A.: As above.

No. F(E)III/2009/PN1/6 **New Delhi, Dated : 22.08.2017**

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (40 spares).

G. Priya Sudarsani
For Financial Commissioner/Railways.

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
25 AUG 2017
महाप्रबन्धक

CPO/A
DY. CPO/GAZ
DY. CPO/IR
DY. CPO/HQ
CHAIRMAN/RRC
SPO/HQ
SPO/IR
APO/IR

सं. 1/4/2017 - **P&PW (F)**

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

****

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली -110003
दिनांक: 2 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन - सतत् परिचर भत्ते में वृद्धि

....

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान समय में सतत् परिचर भत्ता (सीएए) उन पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है जो केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत 100% नि:शक्तता (जहां एक व्यक्ति अपने दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलाप के लिए पूरी तरह से किसी और पर निर्भर है) के साथ नि:शक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुए हैं । सतत् परिचर भत्ते का भुगतान नि:शक्तता पेंशन के अतिरिक्त किया जाता है । सतत् परिचर भत्ता की वर्तमान स्वीकार्य दर 4500/- रुपये प्रति माह है ।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की भत्तों संबंधी सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की, सतत् परिचर भत्ते को 1.5 से गुणा करके इसे बढ़ाने अर्थात प्रतिमाह 6750/- रूपए करने की, सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, सतत् परिचर भत्ते की मौजूदा 4500/- रु की राशि को बढ़ाकर प्रति माह 6750/- रुपये करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी सूचित की जाती है ।

3. ये आदेश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होंगे ।

4 जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

5. इसे दिनांक 11.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11-1 / 2016- IC के तहत वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से जारी किया जाता है ।

(सुजाशा चौधरी)
निदेशक
फोन: 24635979

सेवा में

1. मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।
2. मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि को प्रतिलिपि ।

No.1/4/2017--P&PW (F)
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated the 2nd August, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of Government's decision on the recommendation of the VIIth Pay Commission on CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 – Enhancement of Constant Attendant Allowance.

....

The undersigned is directed to say that at present Constant Attendant Allowance (CAA) is granted to pensioners who retired on disability pension under the CCS(Extraordinary Pension) Rules 1939, with 100% disability (where the individual is completely dependent on somebody else for day-to-day function). The Constant Attendant Allowance is paid in addition to the disability pension. The present rate of Constant Attendant Allowance admissible is Rs.4500/- per month.

2. Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the 7th Central Pay Commission on Allowances, Government has accepted the recommendation of 7th Central Pay Commission to increase the Constant Attendant Allowance by a factor 1.5, ie. to Rs.6750/- per month. Accordingly, sanction of the President is hereby conveyed for enhancement of the amount of Constant Attendant Allowance from the existing Rs.4500/- to Rs.6750/- per month.

3. These orders will take effect from 01.07.2017.

4 In so far as persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders issue after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

5. These orders are issued with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide, their OM No.11-1/2016-IC dated 11.07.2017.

6. Hindi version will follow.

(Sujasha Choudhury)
Director
Tel: 24635979

To

All Ministry/Department of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to: President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.